अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

मन्नालाल बनाम **श्रीकिशन आदि**

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 45/2016 **निर्णय दिनांक– 14.05.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 56 रकबा 6.20 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 65 रकबा 6.20 हैक्टेयर वाके ग्राम गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. श्रीकिशन पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर	बारानी 2	4.896
2. मन्नालाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर	बारानी 2	4.896
3. प्रेमी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर	बारानी 2	4.896
4. बनवारीलाल गिरधारीलाल पि. नन्दलाल सोहनी पत्नी नन्दलाल भगवती पुत्री नन्दलाल हि.ब. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर	बारानी 2	4.896
5. मन्नालाल श्रीकिशन मांगीलाल पि. सुरजाराम प्रेमी पुत्री सुरजाराम हि. 4/5 बनवारीलाल गिरधारीलाल पि. नन्दलाल सोहनी पत्नी नन्दलाल भगवती पुत्री नन्दलाल हि. 1/5 जाति कुम्हार सा.देह	65 मी.	0.08 हैक्टेयर	बारानी 2	0.32
6. मांगीलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर	बारानी 2	4.896

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.2018 को केम्प मंगलूणा में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

14.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प मंगलूणा में पेश हुई। सम्पूर्ण पत्रावली आदि का अवलोकन किया। प्रकरण विभाजन का होने से तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का भी गहनता से अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त जाहिर होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/रा. लो.अ./2018/100 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। पत्रावली में पूर्व में भी तहसीलदार, लक्ष्मणगढ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। दोनो प्रस्तावों का अवलोकन किया। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 56 रकबा 6.20 हैक्टेयर जिसके नये खसरा सं. 65 रकबा 6.20 हैक्टेयर वाके ग्राम गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. श्रीकिशन पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर
2. मन्नालाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर
3. प्रेमी पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर
4. बनवारीलाल गिरधारीलाल पि. नन्दलाल सोहनी पत्नी नन्दलाल भगवती पुत्री नन्दलाल हि.ब. जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर
5. मन्नालाल श्रीकिशन मांगीलाल पि. सुरजाराम प्रेमी पुत्री सुरजाराम हि. 4/5 बनवारीलाल गिरधारीलाल पि. नन्दलाल सोहनी पत्नी नन्दलाल भगवती पुत्री नन्दलाल हि. 1/5 जाति कुम्हार सा.देह	65 मी.	0.08 हैक्टेयर
6. मांगीलाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	65 मी.	1.2240 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– मंगलूणा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official